रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052023-245956
CG-DL-E-19052023-245956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2023/वैशाख 29, 1945
No. 304] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2023/VAISAKHA 29, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2023

सा.का.नि. 376(अ).—कतिपय प्रारूप नियम अर्थात पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथापेक्षित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 805 (अ), तारीख 4 नवंबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिनों के अवसान से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां 7 नवंबर, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के अवसान पर प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची–1 में,- क्र.सं. 115 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"116	हॉट मिक्स संयंत्र	स्टैक उत्सर्जन में विविक्त कण सांद्रता (mg/Nm^3)	
		बैच टाइप हॉट मिक्स संयंत्र	150
		ड्रम टाइप हॉट मिक्स संयंत्र	300

टिप्पणियां :-

(i) हॉट मिक्स संयंत्र के लिए न्यूनतम स्टेक ऊंचाई की गणना इस प्रकार की जाएगी: स्टेक ऊंचाई ($एच_{एस}$)=14 ($क्यू$)$^{0.3}$, जहां क्यू किलोग्राम/घंटे में $एसओ_2$ उत्सर्जन दर है ।

(ii) केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा विनिर्दिष्ट स्वीकृत ईंधन का ही प्रयोग किया जाएगा ।

(iii) माल की संभलाई से होने वाले उत्सर्जन को पानी के छिड़काव अथवा धूल उत्सर्जन के स्थलों को ढककर नियंत्रित किया जाएगा ।

(iv) परिसर के अंदर की सड़कों, कार्य किए जाने वाले प्लेटफार्म, लोडिंग तथा अनलोडिंग क्षेत्रों को पक्का किया जाएगा तथा हमेशा स्वच्छ रखा जाएगा ।

(v) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 का अनुपालन किया जाएगा और श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे ।

(vi) परिधि के किनारे हरित पट्टी विकसित की जाएगी।

(vii) रेडियो में पुनर्चक्रित आसफाल्ट पेवमेंट (आरएसपी)के उपयोग की अनुमति दी जाएगी ।

(viii) किसी भी निरस्त प्रक्रिया की या हॉट मिक्स की बची सामग्री प्रक्रिया में पुनर्चक्रित की जाएगी ।

(ix) प्रचालन चरण के अंत में अर्थात् संयंत्र को हटाने के बाद, कार्य-स्थल को पुन: बहाल किया जाए ।

(x) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां, उपलब्ध प्रौद्योगिकी और विद्यमान पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर हॉट मिक्स संयंत्रों को अनुमति देने हेतु उनके आकार और क्षमता का विनिश्चय कर सकेंगी।

(xi) हॉट मिक्स संयंत्र को निम्नलिखित स्थान निर्धारण संबंधी मापदंडों से स्थापित किया जाएगा ।

(क) शहरों और कस्बों की सीमा से 1 कि.मी. दूर,

(ख) आवासों से 0.5 कि.मी. दूर,

(ग) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों (मध्य रेखा से) 0.2 कि.मी. दूर,

(घ) विद्यालयों/कालेजों तथा मंदिरों से 0.5 कि.मी. दूर,

(ड) अस्पताल, न्यायालय तथा पर्यटन स्थल से 1 कि.मी. दूर,

(xii) उपर्युक्त पैरा (xi) स्थल निर्धारण मापदंडों को पूरा न करने वाले विद्यमान हॉट मिक्स संयंत्रों के मामले में, इकाई को प्लाट परिधि पर जीआई शीटों की न्यूनतम 6 मीटर ऊंची दीवार बननी चाहिए ।

IndiaCode

(xiii) हॉट मिक्स संयंत्र नीचे उल्लिखित उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से युक्त होने चाहिए ताकि मानकों को प्राप्त करने के लिए इष्टतम दक्षता सुनिश्चित की जा सके :

क. ड्रम के प्रकार: वेट स्क्रबर सहित साइक्लोन/मल्टी-क्लोन

ख. बैच के प्रकार: बैग फिल्टर्स सहित मल्टी-क्लोन

[फा. सं. क्यू-15017/14/2018-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373(अ), 16 मई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2023

G.S.R. 376(E).—Whereas, certain draft rules, namely the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part ll, Section 3, Sub-section (i) as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number G.S.R. 805 (E), dated the 04th November, 2022, inviting objections or suggestions from any person likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the aforesaid notification were made available to the public on the 07th November, 2022;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on expiry of period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after serial number 115 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
(1)	(2)	(3)	(4)
"116	**Hot Mix Plant**	Particulate Matter Concentration (mg/Nm^3) in stack emission	
		Batch type Hot Mix Plant	150
		Drum type Hot Mix Plant	300

Notes:

(i) The minimum stack height for Hot Mix Plant shall be calculated as: Stack height (H_s) = $14(Q)^{0.3}$, where, Q is the SO_2 emission rate in kg/hr.

(ii) Only approved fuel as specified by State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees shall be used.

(iii) Dust emission from material handling shall be contained with water sprinkling or by covering the points of dust emission.

(iv) The internal roads, working platform, loading and unloading areas in premises should be paved and kept clean all times.

(v) Provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 shall be followed and workers shall be provided with personal protective equipments.

(vi) The green belt shall be developed along the periphery.

(vii) Use of Recycled Asphalt Pavement (RSP) shall be allowed in the aggregates.

(viii) Any process rejects or left over of the hot mix shall be recycled in the process.

(ix) The site shall be reinstated at the end of operation phase i.e. after dismantling the plant.

(x) State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees may decide the size and capacity to permit hot mix plants based on available technology and prevailing environmental conditions.

(xi) The Hot Mix Plant shall be installed from the following siting criteria, namely:-

(a) 1 km from boundary of cities and towns;

(b) 0.5 km from habitation;

(c) 0.2 km from National or State Highways (from Centre Line);

(d) 0.5 km from Schools or Colleges and temples;

(e) 1 km from Hospital, court and tourist spot.

(xii) In case existing hot mix plants are not able to meet above siting criteria at para (xi) above, the unit may be allowed with the condition that minimum 6 metre high compound wall of GI sheets along plot periphery shall be installed.

(xiii) The hot mix plant shall be equipped with appropriate air pollution control devices as mentioned below so as to ensure optimum efficiency to achieve the standards, namely:-

(a) Drum Type: Cyclone or multi-clones with wet scrubber;

(b) Batch Type: Multi-clones with bag filters.

[F. No. Q-15017/14/2018–CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E) dated the 19th November 1986 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 373(E) dated the 16th May 2023.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.05.19 21:10:05 +05'30'